SAI
भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय खेल प्राधिकरण
(राजभाषा प्रभाग)
मुख्य कार्यालय, जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम,
लोधी रोड़, नई दिल्ली

फा.सं. भाखेप्रा/रा.भा./3018/2024-25/43 **दिनांक: 07.04.2026**

सेवा में,

क्षेत्रीय केंद्र/प्रभारी
भारतीय खेल प्राधिकरण
नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र
सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700106

विषय: दिनांक 19.02.2026 को भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्य कार्यालय द्वारा खेल प्रशिक्षण केंद्र, अगरतला का राजभाषायी निरीक्षण एवं कार्यशाला।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए, भाखेप्रा मुख्य कार्यालय से डॉ. गीता पाराशर, निदेशक/प्रभारी (राजभाषा) और श्रीमती आशा, उपनिदेशक (राजभाषा) के द्वारा आपके कार्यालय का दिनांक **19.02.2026** को राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री अरिंदम गोगोई, केंद्र प्रभारी, अगरतला से कार्यालय में हिंदी में किए जा रहे कार्य की स्थिति और राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया है और साथ ही सभी अनुभागों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसके अलावा कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राजभाषा नियमों का अनुपालन, कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने के संबंध में जानकारी दी गई।

राजभाषायी निरीक्षण प्रपत्र में दिए गए आंकड़ों एवं निरीक्षण के दौरान अन्य संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि कार्यालय में राजभाषा संबंधी प्रावधानों/आदेशों के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति निम्नानुसार है:-

1. इस वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 03 बैठक आयोजित की गई हैं। पिछली बैठक दिनांक 06.12.2025 को आयोजित की गई है, जोकि सराहनीय है। राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जानी अनिवार्य हैं। अत: भविष्य में भी प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित करें और उसके कार्यवृत्त की प्रति राजभाषा प्रभाग, भाखेप्रा, मुख्य कार्यालय को भी अग्रेषित की जाए।
2. कार्यालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में अक्तूबर से दिसंबर, 2025 तक की तिमाही रिपोर्ट पाई गई है।
3. सभी कोड और मैनुअल द्विभाषी में तैयार किए गए हैं।
4. धारा 3 (3) का पूर्णत: अनुपालन किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि भविष्य में भी धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

Scanned with OKEN Scanner

5. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जा रहा है।

6. पत्राचार में आपका कार्यालय क क्षेत्र से 76% 'ख' से 63% एवं 'ग' क्षेत्र से 61% **कार्य हिंदी** में कर रहा है, इसके लिए आप और आपके अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। इसमें और अधिक वृद्धि के प्रयास किए जाएं ।

7. सभी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों का रोस्टर बनाकर उन्हें प्रवीणता हेतु प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा उन्हें समस्त सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाए।

8. कार्यालय में 03 कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जिनमें से 02 कंप्यूटर में द्विभाषी रूप से कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए और कंप्यूटरों पर हिंदी के कार्य का प्रतिशत बढ़ाया जाए।

9. कार्यालय नराकास का सदस्य है। भविष्य में भी कार्यालय प्रमुख नराकास बैठक में राजभाषा अधिकारी का भाग लेना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। हिंदी कार्यशाला में कर्मचारियों को अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाए।

11. कार्यालय के सभी नामपट्ट एवं सूचना बोर्ड द्विभाषी हैं।

12. कार्यालय की सभी रबड़ की मोहरें द्विभाषी हैं।

13. हिंदी में काम करने संबंधी प्रोत्साहन योजना को लागू करें।

14. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय का विवरण नहीं दिया गया है, क्या कार्यालय में हिंदी पुस्तकें खरीदी जाती हैं।?

15. ई-ऑफिस में अधिक से अधिक टिप्पणियां द्विभाषी रूप में या हिंदी में लिखी जाए।

16. कार्यालय द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जोकि सराहनीय है।

17. खिलाड़ियों के साथ हिंदी में बातचीत की जाए और उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर अनुपालन कार्रवाई करवाते हुए इसकी कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें। निरीक्षण के दौरान आपके कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिया गया सहयोग प्रशंसनीय है जिसके लिए आपका केंद्र धन्यवाद का पात्र है।

इसे कार्यकारी निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

गी पाराशर
07/05/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक, भाखेप्रा के उपनिदेशक
2. प्रभारी, खेल प्रशिक्षण केंद्र, अगरतला
3. उपनिदेशक, आईटी प्रभाग-राजभाषा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. मास्टर फाईल

गी पाराशर
07/05/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)

Scanned with OKEN Scanner